सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स० श्री महेश्वर हजारी, स०वि०स० श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स०	"जमुई जिला अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त एवं वेतनमान की प्रत्याशा में वर्ष 2010 (स्थापना काल) से ही नियत वेतन पर कार्यरत हैं । विद्यालय के कर्मियों द्वारा सतत् कार्यशील रहने के परिणाम स्वरूप इस विद्यालय के छात्र / छात्राओं ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलताएँ अर्जित की हैं । तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सिमुलतला शिक्षा सोसायटी की आम सभा की बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कार्यरत कर्मियों को नेतरहाट के समान वेतनमान एवं सेवाशर्त्तें प्रदान करने का निर्णय लिया गया था किन्तु उसका कार्यान्वयन अबतक नहीं हो पाया है । प्रबंध समिति की कई बैठकों में इस आशय की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति से की गई है । ठीक इसके विपरीत कार्यकारिणी समिति द्वारा खुला विज्ञापन निकालकर कार्यरत कर्मियों के पदों सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है, जो उक्त कर्मियों के साथ अन्याय है । अतः छात्रहित एवं विद्यालयहित में सिमुलतला कार्यकारिणी समिति के निर्णय को निरस्त करते हुए कार्यरत कर्मियों को नेतरहाट के समान सेवाशर्त्तें एवं वेतनमान प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

2. श्री अखतरुल ईमान, स०वि०स० श्री शाहनवाज, स०वि०स० श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स०वि०स० श्री इजहारुल हुसैन, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स०	''सीमांचल के जिला पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में बहने वाली महानन्दा, कनकई, बकरा, परमान, डोंक इत्यादि नदियों से विगत 4 वर्षों में लगातार भीषण कटाव से पीपलतोड़ा, चैनपुर, गोश्तरा, महसेल, खाता टोली, खाड़ी बसौल, रसेली कोचका, पर्सराय, सीमलबाड़ी, हजारिया, तेयर पाड़ा, महेश बथना, निशन्द्रा एवं चनकी इत्यादि गाँवों में हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं । उक्त स्थानों पर अब भी कटाव जारी है एवं कई सरकारी भवन, विद्यालय एवं पक्की सड़कें भी नदियों में विलीन हो गये हैं । सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन स्थलों में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया जा सका है और न कोई कारगर योजनाएँ ही बनाई गई हैं । अत: उपरोक्त स्थानों पर यथाशीघ्र ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2021- 1304 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.3.21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2021- 1304 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

16.3.21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

16/3/21